प्रेस-नोट

थाना गजरौला क्षेत्रान्तर्गत टाइगर रिजर्व के (माला रेंज) में दिनांक 30/31.08.2024 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वन्यजीवों का शिकार कर वन विभाग कर्मी से डीबीबीएल बन्दूक लूट कर ले जाने वाले 06 अभियुक्तों को थाना गजरौला एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वन कर्मी से लूटी गयी बन्दूक, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हिरन के सींग, 02 अवैध डीबीबीएल गन, 01 रिवाल्वर लाइसेंसी फैक्ट्री मेड, 01 अवैध देशी बन्दूक, 06 जिन्दा कारतूस 12 बोर , 07 खोखा कारतूस 12 बोर,01 मिस कारतूस 12 बोर, .32 बोर के 05 जिन्दा व 06 खोखा कारतूस व मांस काटने के उपकरण सहित पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि थाना गजरौला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 30/31.08.2024 की रात्रि में टाइगर रिजर्व के माला रेंज वन क्षेत्र में कुछ अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जंगली जीव का शिकार कर वन कर्मियों के साथ मारपीट एवं वन कर्मी से डीबीबीएल गन लूटने की घटना कारित की गयी, इसी क्रम में आज दिनांक 02.09.2024 को थाना गजरौला पुलिस टीम को जरिये मुखबिर पुष्ट सूचना प्राप्त हुयी कि जो व्यक्ति दिनांक 30/31.08.24 को जंगल में शिकार कर बन्दूक लूटने की घटना कारित करके गये थे, वही लोग आज भी जंगल में शिकार करने आये हैं। प्राप्त सूचना पर थाना गजरौला पुलिस द्वारा वन विभाग से समन्वय स्थापित कर संयुक्त टीम के साथ जंगल क्षेत्र में कॉम्बिंग करने हेतु निकले, थाना गजरौला क्षेत्रान्तर्गत चौकी रिछौला से माधोटाण्डा जाने वाली रोड पर मुखबिर ने पुलिस टीम को बताया कि रोड के बायी तरफ जंगल मे करीब 20-30 मी0 अन्दर ही कुछ लोग बैठे हैं । पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम कॉम्बिंग करते हुये जंगल की तरफ चली तो अचानक फायरिंग की आवाज सुनायी दी। टीम द्वारा झाड़ियों में छुपते हुये आगे बढकर देखा तो करीब 8-9 व्यक्ति बैठे हुये दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ न्यूनतम फायर करते हुए 06 अभियुक्तों को समय करीब 03.00 बजे सुबह पकड लिया अंधेरे का लाभ उठाकर 03 आरोपी मोटर साइकिल से फरार हो गये। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1. मंसूर खाँ पुत्र मुमताज खान निवासी कस्बा तीतरो थाना तीतरो जिला सहारनपुर, 2. मो0 जीशान पुत्र अमीर अहमद निवासी मो0 भूरे खाँ थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत, 3. सपन सरकार उर्फ काला पुत्र नगरवासी सरकार निवासी ग्राम राजा कालोनी थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत, 4. विपलव बाला उर्फ बिल्ला पुत्र वासुदेव बाला निवासी ग्राम न्यूरिया कालोनी थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत, 5. गुरूविन्दर सिह उर्फ गिन्दा पुत्र बलकार सिंह निवासी ग्राम गुलडिया बिथरा थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत, 6. अब्दुल हकीम पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम बग्गा चौववन थाना धनकुईया जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड बताया अभियुक्तगणों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 01 डबल बैंरल गन (वन कर्मियो की लूटी हुयी), 01अन्य डबल बैरल गन, 01 डबल बैंरल पोनिया, 01 देशी बन्दूक 12 बोर , 01 रिवाल्वर लाईसेंसी फैक्ट्री मेड, 01 हिरन का सिंग, मांस काटने के उपकरण, 06 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर , 07 खोखा कारतूस 12 बोर,01 मिस कारतूस 12 बोर, 0.32 बोर के 06 खोखा कारतूस व 05 जिन्दा कारतूस बरामद हुये।

पूछताछ विवरण- मुख्य आरोपी/अभियुक्त जीशान ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने घर पर सभी साथियों को एकत्र करके योजनाबन्द तरीके से जंगल में शिकार करने जाता था, असलहा एवं कारतूस एवं जानवरों को मारने के उपकरण भी मैं अपने साथियों को उपलब्ध कराकर देता था। जंगली जानवर का शिकार कर अपने घर पर लाकर शिकार को मारकर उसके सींग आदि बिक्री हेतु रख लेता था। दो-तीन दिन पहले भी मैं और मेरे साथी जंगल में शिकार करने गये थे जहां हमने दो चीतल/हिरन का शिकार किया था, लेकिन वन विभाग के कर्मियों द्वारा हमें घेर लिया गया। हम लोग अलग-अलग दिशाओं में जान बचाकर भाग गये। मेरा एक साथी मंसूर जाकर पेड़ पर छिप गया वहां पर वन विभाग के 03-04 कर्मी आ गये जिन्होंने उसे देख लिया, वह उनकी बन्दूक छीनकर उनके ऊपर बटों से प्रहार करते हुये जंगल की तरफ भाग गया। पकडे गये आरोपी मंसूर उपरोक्त ने बताया जो बन्दूक मेरे पास से बरामद हुयी यह वही बन्दूक है जिसे मैने वनकर्मी से छीना था, मैं भी पिछले कई वर्षो से अपने साथियों के साथ जंगल में आकर शिकार करता हूँ कुछ मीट हम खा जाते हैं व कुछ इधर-उधर बेच देते हैं, खाल एवं हड्डिया आदि जंगल में फेंककर सींग हम घर ले जाते हैं, हमारे पास से जो सींग बरामद हुया उसे जीशान बेचने के उद्देश्य से लेकर आया था जिसे मौका लगते ही हम बेच देते व अर्जित पैसों को आपस में बांट लेते। अभियुक्त मंसूर जनपद पीलीभीत की पुलिस लाइन में हेड कान्सटेबल के पद पर तैनात है इससे पहले वह जनपद बरेली की 08 बटालियन पीएसी में तैनात था वहां से भी शिकार करने आता-जाता था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना गजरौला पर दिनांक 31.08.2024 को मु0अ0सं0 289/2024 धारा 310(2)/311/121(1) बीएनएस व 9/51(1-C) वन्यजीव संरक्षण अधि0 व आज दिनांक 02.09.2024 को मु0अ0सं0 290/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्मस एक्ट, 26 वन्य जीव संरक्षण अधि0, 52 भारतीय वन अधिनियम एवं 111 बीएनएस पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में वन विभाग कर्मी एवं अन्य कर्मियों की संलिप्ता की भी जांच की जा रही है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण –

1. मंसूर खाँ पुत्र मुमताज खान निवासी कस्बा तीतरो थाना तीतरो जिला सहरनपुर
2. मो0 जीशान पुत्र अमीर अहमद निवासी मो0 भूरे खाँ थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत
3. सपन सरकार उर्फ काला पुत्र नगरवासी सरकार निवासी ग्राम राजा कालोनी थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत
4. विपलव बाला उर्फ बिल्ला पुत्र वासुदेव बाला निवासी ग्राम न्यूरिया कालोनी थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत
5 . गुरूविन्दर सिह उर्फ गिन्दा पुत्र बलकार सिंह निवासी ग्राम गुलडिया बिथरा थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत
6. अब्दुल हकीम पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम बग्गा चौववन थाना धनकुईया जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 यू0पी0 26 ए0ई0 2835 ।
2. 01 डबल बैंरल गन (वन कर्मियो की लूटी हुयी) ।
3. 01 डबल बैंरल गन ।
4. 01 डबल बैंरल पोनिया गन ।
5. 01 देशी बन्दूक 12 बोर।
6. 01 रिवाल्वर लाईसेंसी फैक्ट्री मेड।
7. 01 हिरन का सिंग।
8. मांस काटने के उपकरण (02 चापड , 02 चाकू , 01 लकडी का गट्टा , बोरी)

9. 06 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर , 07 खोखा कारतूस 12 बोर , 01 मिस कारतूस 12 बोर , 0.32 बोर के 06 खोखा कारतूस व 05 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास –

मंसूर खाँ उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 180/07 धारा 307 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 659/24 धारा 147/323/506/307 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

मो0 जीशान उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 1015/07 धारा 307 भादवि0 थाना कोतवाली पीलीभीत

सपन सरकार उर्फ काला उपरोक्त

2. मु0अ0सं0 639/11 धारा 379/411/414 भादवि थाना न्यूरिया पीलीभीत।

विपलव बाला उर्फ बिल्ला उपरोक्त

1. मु0अ0स0 234/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना न्यूरिया पीलीभीत

गुरूविन्दर सिह उर्फ गिन्दा

1. मु0अ0सं0 376/22 धारा 147/323/504/427 भादवि थाना कोतवाली पीलीभीत
2. मु0अ0सं0 331/16 धारा 35 शस्त्र अधिनियम थाना न्यूरिया पीलीभीत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह
2. वरि0उ0नि0 श्री मो0 आरिफ
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार
4. उ0नि0 श्री अंकित कुमार
5. हे0का विवेक कुमार
6. हे0का0 शहनवाज
7. का0 नवीन कुमार

जनपदीय वन विभाग टीम -

1. दीपक कुमार (वन रक्षक)
2. वीरेन्द्र कुमार जाटव (वन दरोगा)
3. उमाशंकर (वाचर)
4. जितेन्द्र कुमार (वनरक्षक)
5. बाबूराम (वनरक्षक)
6. राजाराम (वाचर)
7. अनोखे लाल (वाचर)